"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 अप्रैल 2010— चैत्र 25, शक 1932

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-23/2009/42.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 2 के खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत ऐसे प्राधिकारी से है, जिसे शासन द्वारा सेवाओं या पदों के लिए नियुक्ति करनें हेतु नाम निर्दिष्ट किया जाए ;
   (ख) " समिति " से अभिप्रेत है विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति.

2. नियम 2 के खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
   (त) "संचालक " से अभिप्रेत है, संचालक, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ ;
   (थ) " शासन " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन ;
   (द) " राज्य " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. नियम 6 के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
   (क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा या साक्षात्कार के द्वारा या दोनों के द्वारा.

4. नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) का उप-खण्ड (चार) विलोपित किया जाये.

5. नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-(छ) " शहीद राजीव पांडे पुरस्कार ", गुण्डाधुर तथा महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक युवा अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्षों तक शिथिलनीय होगी.

6. नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किये जाए, अर्थात्:-(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी है, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी.

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नॉन कमिशन्ड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा 08 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिएं।

(ञ) आयु सीमा के संबध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(ट) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

(ठ) किसी भी दशा में उपरोक्त उल्लिखित वर्गों में से एक या एक से अधिक के अंतर्गत आयु में छूट दिये जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

7. नियम 9 में निम्नलिखित उपबंध अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:–

"कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए विहित की गई आयु प्राप्त करने से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।"

"कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, सेवा या पद हेतु नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

8. नियम 11 के शीर्षक में शब्द "प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती" के स्थान पर शब्द "परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती" प्रतिस्थापित किया जाए।

9. नियम 11 के उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

(1) सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा/चयन ऐसे अंतरालों से आयोजित की जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करे।

10. नियम 11 के उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी की परीक्षा/चयन ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जायेगी, जैसा कि शासन द्वारा समय–समय पर जारी किया जाए।

11. नियम 11 के उप–नियम (6) के पश्चात् , निम्नलिखित उप–नियम अंतःस्थापित किये जाए, अर्थात्:–

(7) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार लागू होंगे।

(8) ऐसे मामलों में, जहॉ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की पूर्ति के लिए, कतिपय कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों के लिए भर्ती हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहॉ नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य

प्रशासन विभाग से परामर्श के पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(9) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो शेष रिक्तियॉ अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी और रिक्तियॉ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अगले चयन हेतु आरक्षित रखी जाएंगी।

12. नियम 12 के उप–नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप–नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

(4) चयन सूची, जारी किए जाने की तारीख से 01 वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी।

13. नियम 13 के उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची–चार में यथा उल्लिखित सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जाएगी।

परंतु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य से भिन्न नाम निर्दिष्ट सदस्यों में से कोई अनुसूचित जातियों यां अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उसी प्रास्थिति के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति/छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

14. नियम 13 के उप–नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

(3) अनुसूची–चार में उल्लिखित पद के लिए सेवा के सदस्यों की पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगी।

15. नियम 14 के उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

(1) नियम 13 के उप–नियम (2) के उपबंधो के अधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है या सरकार, द्वारा उनके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर कम से कम उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट है, और जो नियम 13 के उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों ।

स्पष्टीकरण:– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, 01 जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना उस कैलेण्डर वर्ष से की

जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आता है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

16. नियम 15 के उप–नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाए,, अर्थात्:–

"(3) प्रत्येक चयन की सूची निर्मित करते समय चयन सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे।"

17. नियम 19 में शब्द "सीर्धी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा प्रत्येक व्यक्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

18. वर्तमान अनुसूची–एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:–

अनुसूची –एक
(नियम 5 देखिये)

स.क.	पदों का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी / गैर तकनीकी (प्रशिक्षण) संवर्ग					
1	तकनीकी सहायक / प्रशिक्षण अधीक्षक	173	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4300)	संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण
2	प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनोग्राफी (हिन्दी /अंग्रेजी)	36	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4300)	संचालक / संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो
3	प्रशिक्षण अधिकारी (भाषा–हिन्दी)	37	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4200)	संचालक / संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो
4(एक)	प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय / इंजी ड्राईग / वर्कशाप केलकुलेशन और साईंस)	1152	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4200)	संचालक / संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो
4(दो)	प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.एडवान्स माड्यूल)		तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4200)	संचालक / संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो
5	प्रशिक्षण अधिकारी (सामाजिक अध्ययन)	21	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4200)	संचालक / संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो
6	प्रशिक्षण अधिकारी भाषा–अंग्रेजी (कम्यूनिकेशन स्किल)	82	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4200)	संचालक / संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो
7	मेंटनेंस मेकेनिक (मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल)	24	तृतीय श्रेणी	5200–20200 (ग्रेड वेतन 2200)	संचालक / संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो
अलिपिकीय गैर तकनीकी संवर्ग					
8	छात्रावास अधीक्षक	16	तृतीय श्रेणी	5200–20200 (ग्रेड वेतन 2400)	संचालक / संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो
9	वाहन चालक	09	तृतीय श्रेणी	5200–20200 (ग्रेड वेतन 1900)	संचालक / संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो या संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का प्राचार्य

10	फार्मासिस्ट	31	तृतीय श्रेणी	5200–20200 (ग्रेड वेतन 1900)	संचालक/संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो या संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का प्राचार्य
11	पट्टी बंधक (ड्रेसर)	27	तृतीय श्रेणी	5200–20200 (ग्रेड वेतन 1800)	संचालक/संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो या संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का प्राचार्य
लिपिकीय संवर्ग					
12	अधीक्षक, संचालनालय	01	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4300)	संचालक/संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो
13	अधीक्षक (आई.टी.आई./क्षेत्रीय कार्यालय)	05	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4200)	संचालक/संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो
14	सहायक लेखा अधिकारी	01	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4200)	संचालक/संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो
15	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	02	तृतीय श्रेणी	5200–20200 (ग्रेड वेतन 2800)	संचालक/संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो
16	सहायक अधीक्षक/सहायक ग्रेड–1	27	तृतीय श्रेणी	5200–20200 (ग्रेड वेतन 2800)	संचालक/संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो
17	सहायक ग्रेड–2/लेखापाल	160	तृतीय श्रेणी	5200–20200 (ग्रेड वेतन 2400)	संचालक/संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो
18	सहायक ग्रेड–3	200	तृतीय श्रेणी	5200 20200 (ग्रेड वेतन 1900)	संचालक/संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो
19	स्टेनो टायपिस्ट	06	तृतीय श्रेणी	5200–20200 (ग्रेड वेतन 1900)	संचालक/संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो
20	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	31	तृतीय श्रेणी	5200–20200 (ग्रेड वेतन 2200)	संचालक/संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष अधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो

अनुसूची – दो
(नियम 6 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदो की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा नियम (6) (1) (ग) देखिये	टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा नियम–6 (1) (क)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी / गैर तकनीकी (प्रशिक्षण) संवर्ग						
1	तकनीकी सहायक / प्रशिक्षण अधीक्षक	173	–	100 प्रतिशत स. क्र. 4 में से।	–	–
2	प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनोग्राफी (हिन्दी / अंग्रेजी)	36	100 प्रतिशत	–	–	–
3	प्रशिक्षण अधिकारी (भाषा–हिन्दी)	37	100 प्रतिशत	–	–	–
4(एक)	प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय / इंजी ड्राईंग / वर्कशाप केलकुलेशन)	1152	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत	–	1. कॉलम क्र. 5 के सरल क्र.–4 (i) का 25 प्रतिशत उन मेन्टेनेन्स मैकेनिकं (मैकेनिकल / इलेक्ट्रीकल) से जो 05 पॉच वर्ष का अनुभव रखते हों,, जिनके पास शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता हो। 2. कॉलम क्र. 5 के सरल क्र.–4 (i) का 75 प्रतिशत उन कर्मशाला सहायक से जो पांच वर्ष का अनुभव रखते हो, जिनके पास शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता हो।
4(दो)	प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई. एडवान्स माड्यूल)	40	100 प्रतिशत	–	–	–
5	प्रशिक्षण अधिकारी (सामाजिक अध्ययन)	21	100 प्रतिशत	–	–	–
6	प्रशिक्षण अधिकारी अंग्रेजी–भाषा (कम्यूनिकेशन स्किल)	82	100 प्रतिशत	–	–	–
7	मेंटनेंस मेकेनिक (मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल)	24	100 प्रतिशत	–	–	–

अलिपिकीय गैर तकनीकी संवर्ग						
8	छात्रावास अधीक्षक	16	100 प्रतिशत	—	—	—
9	वाहन चालक	09	100 प्रतिशत	—	—	—
10	फार्मासिस्ट	31	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	—	25 प्रतिशत पद उन पट्टी बंधकों (ड्रेसर) से भरे जायेंगे जो विहित शैक्षणिक अर्हता के साथ कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखते हों।
11	पट्टी बंधक (ड्रेसर)	27	100 प्रतिशत	—	—	—
लिपिकीय संवर्ग						
12	अधीक्षक, संचालनालय	01	—	100 प्रतिशत	—	—
13	अधीक्षक (आई.टी.आई./क्षेत्रीय कार्यालय)	05	—	100 प्रतिशत	—	—
14	सहायक लेखा अधिकारी	01	—	100 प्रतिशत	—	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा तीन वर्ष का सहायक वर्ग–1 के पद पर कार्य करने का अनुभव तथा लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य।
15	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	02	—	100 प्रतिशत	—	—
16	सहायक अधीक्षक/सहायक ग्रेड–1	27	—	100 प्रतिशत	—	—
17	सहायक ग्रेड–2/लेखापाल	160	—	100 प्रतिशत	—	—
18	सहायक ग्रेड–3	200	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत		25 प्रतिशत पद उन चतुर्थ श्रेणी से भरे जायेंगे जो हाई स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं कम से कम पांच वर्ष का कार्य अनुभव रखते हों।
19	स्टेनो टायपिस्ट	06	100 प्रतिशत	—	—	—
20	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	31	100 प्रतिशत	—	—	—

अनुसूची – तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क्र. (1)	सेवा या पद का नाम (2)	आयु सीमा न्यूनतम (3)	आयु सीमा अधिकतम (4)	शैक्षणिक अर्हताएं (5)
तकनीकी संवर्ग				
1	प्रशिक्षण अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो एवं टेलीविजन मेकेनिक, व्यवसाय)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से, हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य में उपाधि/पत्रोपाधि (डिप्लोमा) ***या*** संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी./एन.ए.सी. या उसके समकक्ष। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई./ सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई./सी. टी. आई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
2	प्रशिक्षण अधिकारी (ड्राफ्ट्समेन सिविल, पेंटर जनरल, सर्वेयर)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से, हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य मे उपाधि/ पत्रोपाधि (डिप्लोमा) ***या*** संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी./एन.ए.सी. .या उसके समकक्ष। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई./ सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई./सी. टी. आई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
3	प्रशिक्षण अधिकारी (मेशन)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य में उपाधि/ पत्रोपाधि (डिप्लोमा) ***या*** संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी./एन.ए.सी. या उसके समकक्ष। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई./ सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई./सी. टी. आई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

4	प्रशिक्षण अधिकारी (इलेक्ट्रीशियन)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से, हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य मे उपाधि/पत्रोपाधि (डिप्लोमा) ***या*** संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी./एन.ए.सी. या उसके समकक्ष। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई./सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई./सी. टी. आई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
5	प्रशिक्षण अधिकारी (वायरमेन)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग या समतुल्य समतुल्य मे उपाधि/ पत्रोपाधि (डिप्लोमा) ***या*** संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी./एन.ए.सी. या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई./ सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई./सी. टी. आंई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
6	प्रशिक्षण अधिकारी (ड्राफ्समेन मेकेनिकल मशीनिस्ट ग्राईंडर)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से, हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मेकेनिकल इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य मे उपाधि/पत्रोपाधि (डिप्लोमा) ***या*** संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी./एन.ए.सी. या उसके समकक्ष। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई./सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई./सी. टी. आई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
7	प्रशिक्षण अधिकारी (इंस्ट्रूमेंट्स मेकेनिक)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से, हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य मे उपाधि/पत्रोपाधि

				(डिप्लोमा) ***या*** संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी./एन.ए.सी. या समकक्ष। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई./ सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई./सी. टी. आई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
8	प्रशिक्षण अधिकारी (रेफरिजरेशन एंड एयरकण्डीशनिंग)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से, हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मेकेनिकल/ रेफरिजरेशन एंड एयरकण्डीशनिग इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य में उपाधि/पत्रोपाधि (डिप्लोमा) ***या*** संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी./एन.ए.सी. या उसके समकक्ष। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई./ सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई./सी. टी. आई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
9	प्रशिक्षण अधिकारी (ड्राइवर कम मेकेनिक/मोटर मेकेनिक/ डीजल मेकेनिक/ ट्रेक्टर मेकेनिक)	18 वर्ष	35 वर्ष	1.मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवी विज्ञान के साथ या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मेकेनिकल/ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य मे उपाधि/ पत्रोपाधि (डिप्लोमा) ***या*** संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी./एन.ए.सी. या उसके समकक्ष। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई./सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई./सी. टी. आई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। 4. हल्के वाहन चालन का लाइसेंस अनिवार्य है।
10	प्रशिक्षण अधिकारी (फोर्जर एण्ड हीट ट्रीटर/ कारपेन्ट्री/ मोल्डर/ शीट मेटल/ प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर/ वेल्डर)	18 वर्ष	35 वर्ष	1.मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवी विज्ञान के साथ या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मेकेनिकल/ प्रोडक्शन एवं मेन्यूफेक्चरिंग इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य मे उपाधि/पत्रोपाधि (डिप्लोमा) ***या*** संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी. /एन.ए.सी. या उसके समकक्ष। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई./सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई./सी. टी. आई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

11	प्रशिक्षण अधिकारी (फिटर/मशीनिस्ट/टर्नर/ प्लम्बर)	18 वर्ष	35 वर्ष	1.मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवी या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड से मेकेनिकल/ प्रोडक्शन एवं मेन्यूफेक्चरिंग इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य मे उपाधि/ पत्रोपाधि (डिप्लोमा) ***या*** संबंधित व्यवसाय में एन. टी.सी./एन.ए.सी. या उसके समकक्ष। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई./सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई./सी. टी. आई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
12	प्रशिक्षण अधिकारी लाइब्रेरी एंड इंफरमेशन साइंस	18 वर्ष	35 वर्ष	1. गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से, हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2.मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से लाइब्रेरी एंड इंफार्मेशन साइंस या उसके समतुल्य मे उपाधि/ पत्रोपाधि (डिप्लोमा) ***या*** संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी./एन.ए.सी. या उसके समकक्ष। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई./ सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई./सी. टी. आई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
13	प्रशिक्षण अधिकारी हास्पीटल हाऊस कीपिंग	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से पब्लिक हेल्थ/ बायो साईस/फिजोलॉजी/नर्सिंग में उपाधि/पत्रोपाधि या संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी./एन.ए.सी. या उसके समकक्ष।
14	प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक कम्प्यूटर हार्डवेयर	18 वर्ष	35 वर्ष	1. गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन लेकर हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2.मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर साईस इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य मे उपाधि/पत्रोपाधि ***या*** संबंधित व्यवसाय में एन. टी.सी./एन.ए.सी. या उसके समकक्ष। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई./सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई./सी. टी. आई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

15	प्रशिक्षण अधिकारी कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से कम्प्यूटर साईंस में उपाधि/पत्रोपाधि या बी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए. या डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स से "ओ" लेवल सर्टिफिकेट या संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी./एन.ए.सी. या उसके समकक्ष। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई./सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई./सी. टी. आई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
16	प्रशिक्षण अधिकारी (इंफरमेशन टेक्नालॉजी एंड इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम मेन्टनेंस)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से, हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इंफरमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि या संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी./एन.ए.सी. या उसके समकक्ष। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई./ सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई./सी. टी. आई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
17	प्रशिक्षण अधिकारी (सेक्रेट्रीयल प्रेक्टिस)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मॉर्डन आफिस मेनेजमेंट या उसके समकक्ष में डिप्लोमा या संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी./एन.ए.सी. या उसके समकक्ष।
18	प्रशिक्षण अधिकारी (स्टेनोग्राफी)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। अभ्यर्थी जो स्नातक या स्नाकोत्तर हो और जिसने अपनी परीक्षा हिन्दी या अंग्रेजी साहित्य विषय लेकर उत्तीर्ण की हो, प्राथमिकता दी जायेगी। 2. शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड अथवा ए.सी.डी.टी./एन.सी.व्ही.टी. से उत्तीर्ण होनी चाहिए। 3. शीघ्र लेखन में कम से कम पांच वर्षों के कार्य अनुभव के साथ 100 शब्द प्रति मिनट की शीघ्र लेखन में गति एवं 40/30 शब्द प्रति मिनट की गति क्रमशः अंग्रेजी तथा हिन्दी मुद्रलेखन में हो। 4. हिन्दी तथा अंग्रेजी का समुचित ज्ञान हो।

तकनीकी अधिकारी (सी. ओ. ई.) एडवांस माड्यूल				
19	प्रशिक्षण अधिकारी (सी. ओ. ई.) (सेक्टर–फेब्रीकेशन के लिए)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. फेब्रीकेशन / मेकेनिकल / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में उपाधि, या 2. फेब्रीकेशन / मेकेनिकल / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि
20	प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (सेक्टर–आटोमोबाइल के लिए)			1. आटोमोबाइल इंजीनियरिंग मे उपाधि, या 2. आटोमोबाइल इंजीनियरिंग मे पत्रोपाधि।
21	प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (सेक्टर–इलेक्ट्रीकल के लिए)			1. इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग मे उपाधि, या 2. इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग मे पत्रोपाधि, या 3. संबंधित क्षेत्र में एच.एन.टी.सी.।
22	प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (सेक्टर–इंफरमेशन टेक्नालाजी के लिए)			डी.जी.ई.टी. द्वारा तय की गई अर्हताओं के अनुसार।
23	प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (सेक्टर–इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए)			1. इलेक्ट्रॉनिक्स / इंस्टूमेन्टेशन इंजीनियरिंग मे उपाधि, या 2. इलेक्ट्रॉनिक्स / इंस्टूमेन्टेशन इंजीनियरिंग मे पत्रोपाधि, या 3. संबंधित क्षेत्र में एच.एन.टी.सी.।
24	प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (सेक्टर–इंडस्ट्रीयल आटोमेशन के लिए)			1. इंडस्ट्रीयल आटोमेशन इंजीनियरिंग / संबंधित माड्यूल अनुशासन मे उपाधि, या 2. इंडस्ट्रीयल आटोमेशन इंजीनियरिंग / संबंधित माड्यूल अनुशासन मे पत्रोपाधि, या 3. संबंधित क्षेत्र में एच.एन.टी.सी.।
25	प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (सेक्टर–रेफरिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए)			1. रेफरिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग / मेकेनिकल इंजीनियरिंग मे उपाधि, या 2. रेफरिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग / मेकेनिकल इंजीनियरिंग मे पत्रोपाधि।
26	प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (सेक्टर–प्रोसेस प्लांट मेंटनेन्स के लिए)			1. केमिकल / इलेक्ट्रिकल / मेकेनिकल / इंस्टुमेंटेशन / रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन (जैसी आवश्यकता हो) इंजीनियरिंग में उपाधि, या 2. केमिकल इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि, या 3. संबंधित क्षेत्र में एच.एन.टी.सी.।
27	प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (सेक्टर–प्रोडक्शन एंड मेनुफेक्चरिंग के लिए)			1. मेकेनिकल / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मे उपाधि, या 2. मेकेनिकल / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मे पत्रोपाधि।
28	प्रशिक्षण अधिकारी (उपर्युक्त को छोडकर अन्य व्यवसायों के लिए)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. संबंधित क्षेत्र मे उपाधि / पत्रोपाधि या उसके समकक्ष या संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी. / एन.ए.सी. या उसके समकक्ष। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई. / सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई. / सी. टी. आई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

29	प्रशिक्षण अधिकारी (इंजीनियरिंग ड्राईंग/वर्कशाप केलकुलेशन एवं साईस)	18 वर्ष	35 व र्ष	1. गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से, हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मेकेनिकल इंजीनियरिंग या उसके समकक्ष में उपाधि/पत्रोपाधि या ड्राफ्समेन मेकेनिकल में एन.टी.सी./एन.ए.सी.। 3. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (ए. टी. आई./सी. टी. आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम) के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता हो। यदि वह ए. टी. आई./सी. टी. आई. से प्रशिक्षित न हो तो उसे नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
	टीपः– समस्त प्रशिक्षण अधिकारीं (ट्रेड ड्राईंग,गणित,एलाइड) को (ए.टी.आई./सी.टी.आई./डी.जी.ई. एवं टी पाठ्यक्रम से एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, वे व्यवसाय जिनमें एक वर्षीय पाठ्यक्रम उपलब्ध नही है और वे व्यवसाय जिनमें एक वर्षीय पाठ्यक्रम उपलब्ध है किन्तु संबंधित व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी ने पांच वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें ए.टी.आई/सी.टी.आई/डी.जी.ई. एव टी. के संस्थानों से तीन माह का प्रिसिंपल्स आफ टीचिंग कोर्स (पी. ओ.टी.) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अग्रिम पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के पात्र नहीं होंगे।			
30	प्रशिक्षण अधिकारी (भाषा – हिन्दी/अंग्रेजी)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. स्नातक एवं बी.एड. परीक्षा हिन्दी/अंग्रेजी साहित्य विषय लेकर उत्तीर्ण की हो। हिन्दी/अंग्रेजी विषय में स्नाकोत्तर को प्राथमिकता दी जायेगी।
31	प्रशिक्षण अधिकारी (सामाजिक अध्ययन)	18 वर्ष	35 वर्ष	1.समाजशास्त्र/मनोविज्ञान या सामाजिक कार्य के साथ स्नातक की डिग्री। 2. अनुभवी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। 3. सी.एस.टी. ए. आर.आई. में या किसी अन्य सरकारी संगठन में रोजगार के बाद प्रशिक्षित हो।
32	प्रशिक्षण अधिकारी भाषा – अंग्रेजी (कम्यूनिकेशन स्किल)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. स्नातक एवं बी.एड परीक्षा हिन्दी/अंग्रेजी साहित्य लेकर उत्तीर्ण की हो। हिन्दी/अंग्रेंजी विषय में स्नाकोत्तर को प्राथमिकता दी जायेगी।
33	मेंटनेंस मेकेनिक (मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मेकेनिकल के लिए फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट से ए.आई.टी. टी. , इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्टीशियन ट्रेड से ए.आई.टी. टी. या तत्संबंधी व्यवसायों से एन.ए..सी.।
अलिपिकीय गैर तकनीकी संवर्ग				
34	छात्रावास अधीक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण तथा व्यायाम प्रशिक्षण में डिप्लोमा, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो।
35	वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण।

				2. हल्के/भारी वाहन चलाने का लाइसेंस।
36	फार्मासिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	1. भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी में डिप्लोमा। 3. फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत। 4. औषधि संयोजक के रूप में कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।
37	पट्टी बंधक	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक, रसायन, एवं जीव विज्ञान के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. स्वास्थ्य केन्द्र/संस्थान से 3 माह का पाठ्यक्रम।
लिपिकीय संवर्ग				
38	स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	1. (10+2) पद्धति के अंतर्गत बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण हो या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण तथा स्टेनोटाइपिस्ट के पद हेतु 60 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टेनोग्राफी का ज्ञान अनिवार्य है। 3. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र उत्तीर्ण हो। 5,000 की 'डिप्रेशन' प्रति घण्टा की गति होनी चाहिए।
39	सहायक ग्रेड–3	18 वर्ष	35 वर्ष	1. (10+2) पद्धति के अंतर्गत बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण हो या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। 3. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र। 5,000 की 'डिप्रेशन' प्रति घण्टा की गति होनी चाहिए।
40	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) 12वी उत्तीर्ण हों, या मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल (10वीं) उत्तीर्ण होने के साथ किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा। कम्प्यूटर में हिन्दी/अंग्रेजी में 8,000 की (Key) डिप्रेशन की गति।

अनुसूची–चार
(नियम 13,14,15,16 एवं 17 देखिये)

स.क्र. (1)	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है (2)	पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव (3)	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है (4)	विभागीय पदोन्नति/भर्ती समिति के सदस्य के पदनाम (5)
1	प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय) (इंजी ड्राईंग/वर्कशाप केलकुलेशन)	3 वर्ष	तकनीकी सहायक/प्रशिक्षण अधीक्षक	पदोन्नति/ भर्ती समिति हेतु 1. अतिरिक्त संचालक 2. संयुक्त संचालक 3. उप–संचालक
2	प्रशिक्षण अधिकारी (सी. ओ.ई. सेक्टर/ इंजीनियरिंग ड्राईग/वर्कशाप केलकुलेशन एंड साईस	3 वर्ष	तकनीकी सहायक/प्रशिक्षण अधीक्षक	तदैव
3	मेंटेनेन्स मैकेनिक (मैकेनिकल/ इलेक्ट्रीकल)	5 वर्ष	प्रशिक्षण अधिकारी (संबंधित व्यवसाय) सरल क्रमांक 3 में उल्लिखित पद की वरिष्ठता को ध्यान में लाये बिना केवल पद के रिक्त होने पर ही पदोन्नत किया जाएगा।	तदैव
4	कर्मशाला सहायक	5 वर्ष	प्रशिक्षण अधिकारी (संबंधित व्यवसाय) सरल क्रमांक 3 में उल्लिखित पद की वरिष्ठता को ध्यान में लाये बिना केवल पद के रिक्त होने पर ही पदोन्नत किया जाएगा	तदैव
5	वाहन चालक (हाई स्कूल उत्तीर्ण)	7 वर्ष	प्रशिक्षण अधिकारी (मोटर मेकेनिक) का पद रिक्त होने पर।	तदैव
6	पट्टी बंधक	5 वर्ष	फार्मासिस्ट	तदैव
7	अधीक्षक आई.टी.आई./ क्षेत्रीय कार्यालय	3 वर्ष	अधीक्षक संचालनालय	तदैव
8	सहायक वर्ग–1	3 वर्ष	सहायक लेखा अधिकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा सहायक वर्ग–1 के पद पर कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव तथा लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य।	तदैव
9	सहायक अधीक्षक /सहायक ग्रेड–1	3 वर्ष	अधीक्षक/ आई.टी.आई./ क्षेत्रीय कार्यालय	तदैव

10	सहायक ग्रेड–2/ लेखापाल	3 वर्ष	सहायक अधीक्षक/सहायक ग्रेड–2	तदैव
11	सहायक ग्रेड–3	3 वर्ष	लेखापाल/सहायक ग्रेड–2	तदैव
12	स्टेनो टायपिस्ट	7 वर्ष	शीघ्रलेखक वर्ग–3 के पास 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, तथा वह प्राधिकारी द्वारा संचालित शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने की शर्त के अध्यधीन रहते हुए नियुक्त किया जाएगा।	तदैव
13	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	–	भविष्य में शासन द्वारा जारी होने वाले निर्देश/आदेश के अनुसार।	तदैव
14	चतुर्थ श्रेणी (दफ्तरी सहित)	5 वर्ष	पदोन्नति के लिये सहायक वर्ग–3 के केवल वे कर्मचारी ही पात्र होंगे जिन्होने हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिन्हें कम्प्यूटर का ज्ञान है। सहायक ग्रेड–3 हेतु पदोन्नति दो वर्ष की परिवीक्षा पर होगी एवं हिन्दी टंकण परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।	तदैव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 1-23/2009/42.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना एफ 1-23/2009/42, दिनांक 15-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

Raipur, the 15th April 2010

NOTIFICATION

No. F 1-23/2009/42.– In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Industrial Training (Non-Gazetted), Service Recruitment Rule, 2005, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. For clause (a) and clause (b) of rule 2 the following clauses shall be substituted, namely:-

(a) "Appointing Authority" in respect of service means such authority nominated to make appointment to services or posts by the Government;

(b) "Committee" means a Departmental Promotion Committee or Selection Committee.

2. After clause (j) of rule 2, the following clauses shall be inserted, namely:-

(k) "Director" means Director, Directorate of Employment and Training Chhattisgarh;

(l) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(m) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. For clause (a) of rule 6 the following clause shall be substituted, namely:-

(a) By direct recruitment through competitive examination or by interview or by both.

4. Sub-clause (iv) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 8 shall be omitted.

5. For clause (g) of sub rule (1) of Rule 8, the following clause shall be substituted, namely:-

(g) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of the "Shaheed Rajiv Pandey Award" Gundadhur and Maharaja Praveer Chand Bhanjdeo awards holder candidates and National Youth Award holder young candidates.

6. After clause (g) of sub-rule (1) of rule 8, the following clauses shall be inserted, namely:-

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporation/ Boards;

(i) The General upper age limit shall be relaxable in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years;

(j) The instruction issued from time to time by General Administration Department in respect to age limit shall be applicable;

(k) The upper age limit shall also be relaxable to the disabled candidates as per orders/directions issued by the State Government;

(l) In any case the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

7. In rule 9 the following provisions shall be inserted, namely:-

"A candidate shall not be eligible for any service or post who has married before attaining the age prescribed for marriage."

"A candidate shall not be eligible for any service or post who has more than Two Living children one of whom is born on or after the 26th day of January of 2001.

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who has already one living child and next delivery takes places on or after the 26th day of January 2001 in which Two or more than Two Children are born."

8. In title of rule 11 for the words "Direct Recruitment by Competitive Examinations" the words "Direct Recruitment by examination/selection" shall be substituted.

9. For sub-rule (1) of rule 11 the following sub-rule shall be substituted, namely:-

(1) The examination/selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the appointing authority may, in consultation with the Government determine from time to time.

10. For sub-rule (2) of rule 11, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

(2) The examination/selection of the candidate shall be made by the appointing authority in accordance with such orders as may be issued by the Government from time to time.

11. After sub-rule (6) of rule 11, the following sub-rules shall be inserted, namely:-

(7) Reservation for Physically Handicapped candidates shall be applicable as per the directions issued by General Administration Department;

(8) In such cases, where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling up the posts to be filled in by direct recruitment and in the opinion of the Appointing Authority it is found that sufficient number of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates having requisite experience is not likely to be available for recruitment to the reserved posts the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after consultation with General Administration Department.

(9) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from other candidates and vacancies shall be kept reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for next selection.

12. After sub-rule (3) of rule 12, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

(4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issuance.

13. For sub-rule (1) of rule 13, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

(1) There shall be constituted a committee consisting of the members as mentioned in Schedule-IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates.

Provided that if the nominated members other than the member presiding the departmental promotion committee/ screening committee in respect of the post to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the promotion/ screening committee and the number of member of promotion/ screening committee shall be extended up to that limit.

14. For sub-rule (3) of rule 13, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

(3) For promotion of members of the service to the post specified in Schedule-IV, the eligibility of candidate, selection procedure and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in the Chhattisgarh Public Services (Promotion) Rules, 2003 and instructions issued by General Administration Department from time to time.

15. For sub-rule (1) of rule 14, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 13 the committee shall consider the cases of all those persons, who as on the first day of January of that year had completed not less than such number of years of service (whether officiating or substantive) in the post from which the promotion is to be made or in any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2) of rule 13.

Explanation - Manner of computation for eligibility for promotion - Period of qualifying service on 1st January of the relevant year, in which departmental promotion committee is convened shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

16. For sub-rule (3) of rule 15, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) The names of the persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts, as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list."

17. In rule 19 for the words "Every person directly recruited" the words "Every person directly recruited or by promotion" shall be substituted.

18. For existing Schedule-I, II, III, and IV, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-I
(Vide Rule-5)

S.N.	Name of the posts	Number of the post	Classification	Scale of pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical/ Non-Technical (Training) Cadre					
1	Technical Assistant/ Training Superintendent	173	Class-III	9300-34800 (Grade Pay 4300)	Director of Employment and Training
2	Training Officer Stenography (Hindi/English)	36	Class-III	9300-34800 (Grade Pay 4300)	Director/Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.
3	Training Officer (Language-Hindi)	37	Class-III	9300-34800 (Grade Pay 4200)	Director/Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.
4(i)	Training Officer (Trade/ Engineering Drawing/ Workshop Calculation & Science)	1152	Class-III	9300-34800 (Grade Pay 4200)	Director/Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.
4(ii)	Training Officer (COE Advance Module)		Class-III	9300-34800 (Grade Pay 4200)	Director/Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.
5	Training Officer (Social Study)	21	Class-III	9300-34800 (Grade Pay 4200)	Director/Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.
6	Training Officer Language-English (Communication skill)	82	Class-III	9300-34800 (Grade Pay 4200)	Director/Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.
7	Maintenance Mechanic (Mechanical/ Electrical)	24	Class-III	5200-20200 (Grade Pay 2200)	Director/Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.
Non-Ministerial Non-Technical Cadre					
8	Hostel Superintendent	16	Class-III	5200-20200 (Grade Pay 2400)	Director/Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.
9	Driver	09	Class-III	5200-20200 (Grade Pay 1900)	Director/oint Director or equivalent authority holding the charge of Establishment Section or the principal of related ITI.
10	Pharmacist	31	Class-III	5200-20200 (Grade Pay 1900)	Director/Joint Director or equivalent authority holding the charge of Establishment Section or the principal of related ITI.

11	Dresser	27	Class-III	5200-20200 (Grade Pay 1800)	Director/Joint Director or equivalent authority holding the charge of Establishment Section or the principal of related ITI.
Ministerial Cadre					
12	Superintendent, Directorate	01	Class-III	9300-34800 (Grade Pay 4300)	Director/Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.
13	Superintendent (I.T.I./ Zonal Office)	05	Class-III	9300-34800 (Grade Pay 4200)	Director/Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.
14	Assistant Account Officer	01	Class-III	9300-34800 (Grade Pay 4200)	Director/Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.
15	Stenographer Grade-3	02	Class-III	5200-20200 (Grade Pay 2800)	Director/Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.
16	Assistant Superintendent/ Assistant Gr.-1	27	Class-III	5200-20200 (Grade Pay 2800)	Director/ Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.
17	Assistant Grade- 2/ Accountant	160	Class-III	5200-20200 (Grade Pay 2400)	Director/ Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.
18	Assistant Gr.-3	200	Class-III	5200-20200 (Grade Pay 1900)	Director/ Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.
19	Steno-Typist	06	Class-III	5200-20200 (Grade Pay 1900)	Director/ Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.
20	Data Entry Operator	31	Class-III	5200-20200 (Grade Pay 2200)	Director/ Joint Director or equivalent officer holding charge of Establishment Section.

SCHEDULE-II

(Vide Rule-6)

S.No.	Name of the posts included in the service	Total number of sanctioned Posts	Percentage of the Number of posts to be filled		By temporary Transfer of the persons from other service vide rule 6 (1) (c)	Remark
			By direct recruitment rule 6 (1) (a)	By Promotion of the members of the service rule 6 (1) (b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Technical/ Non-Technical (Training) Cadre						
1	Technical Assistant/ Training Superintendent	173	-	100%from sl. no.4	-	-
2	Training Officer Stenography (Hindi/English)	36	100 %	-	-	-
3	Training Officer (Language-Hindi)	37	100 %	-	-	-
4(i)	Training Officer (Trade/ Engineering Drawing/ Workshop Calculation)	1152	85 %	15 %	-	1. Serial No. 4(i) of column No.-5, 25% Maintenance Mechanic (Mechanical/ Electrical) with 5 years experience who have acquired the education and technical qualification. 2. Serial No. 4(i) of column No.-5, 75% workshop Attendant with Five year Experience. who have acquired the education and technical qualification.
4(ii)	Training Officer (COE Advance Module)	40	100 %	-	-	-
5	Training Officer (Social Study)	21	100 %	-	-	-
6	Training Officer Language-English (Communication Skill)	82	100 %	-	-	-

7	Maintenance Mechanic (Mechanical/Electrical)	24	100 %	-	-	-
Non-Ministerial Non-Technical Cadre						
8	Hostel Superintendent	16	100 %	-	-	-
9	Driver	09	100 %	-	-	-
10	Pharmacist	31	75 %	25 %	-	25% Post will be filled by those Dressers who have required educational and technical qualification and having min. five years experience
11	Dresser	27	100 %	-	-	-
Ministerial Cadre						
12	Superintendent, Directorate	01	-	100 %	-	-
13	Superintendent (I.T.I./ Zonal Office)	05	-	100 %	-	-
14	Assistant Account Officer	01	-	100 %	-	Graduation from recognized University and Three years work experience of the post Assistant Grade-1 and must passed the Account Training examination.
15	Stenographer Grade-3	02	-	100 %	-	-
16	Assistant Superintendent/ Assistant Gr.-1	27	-	100 %	-	-
17	Assistant Gr.-2/ Accountant	160	-	100 %	-	-
18	Assistant Gr.-3	200	75 %	25 %	-	25% Post will be filled from those Class-IV who have High School pass certificate and having min. five years work experience.
19	Steno- Typist	06	100 %	-	-	-
20	Data Entry Operator	31	100 %	-	-	-

SCHEDULE-III
(Vide Rule-8)

S. No.	Name of the service or post	Age limit		Educational Qualification
		Minimum	Maximum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Technical Cadre				
1	Training Officer (Electronics, Radio & Television Mechanic Trades)	18 year	35 year	1- From recognized board, High School or Old 11th with Maths, Physics and Chemistry or equivalent examination pass. 2- Degree/ Diploma in Electronics Engg. or equivalent from. recognized University/ Board ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade. 3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One Year course from ATI/ CTI. In case if he not traind from ATI/ CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment.
2	Training Officer (Draughtsman Civil, Painter general, Surveyor)	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th with Maths, Physics and Chemistry or equivalent examination pass. 2- Degree/ Diploma in Civil Engg.or equivalent from recognized University/ Board ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade. 3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One year course from ATI/ CTI. In case if he not trained from ATI/ CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment.
3	Training Officer (Mason)	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th or equivalent examination pass. 2- Degree/ Diploma in Civil Engg. or equivalent from recognized University/ Board ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade. 3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One year course from ATI/ CTI. In case if he not traind from ATI/ CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment.

4	Training Officer (Electrician)	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th with Maths, Physics and Chemistry or equivalent examination pass. 2- Degree/Diploma in Electrical Engg. or equivalent from recognized University/ Board ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade. 3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One year course from ATI/ CTI. In case if he not trained from ATI/ CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment.
5	Training Officer (Wireman)	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th or equivalent examination pass. 2- Degree/Diploma in Electrical Engg. or equivalent from recognized University/ Board ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade. 3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One year course from ATI/ CTI. In case if he not trained from ATI/ CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment.
6	Training Officer (Draughtsman Mechanical, Machinist Grinder)	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th with Maths, Physics and Chemistry or equivalent examination pass. 2-Degree/Diploma in Mechanincal Engg. or equivalent from recognized University/ Board ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade. 3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One year course from ATI/ CTI. In case if he not trained from ATI/CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment.
7	Training Officer (Instrument Mechanic)	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th with Maths, Physics and Chemistry or equivalent examination pass. 2- Degree/Diploma in Instrumentation Engg. or equivalent from recognized University/Board ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade. 3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One year course from ATI/ CTI. In case if he not trained from ATI/ CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment.

8	Training Officer (Refrigeration & Air Conditioning)	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th with Maths, Physics and Chemistry or equivalent examination pass. 2- Degree/ Diploma in Mechanical/ Refrigeration & Air Conditioning Engg. or equivalent from recognized University/ Board ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade. 3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One year course from ATI/ CTI. In case if he not trained from ATI/CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment.
9	Training Officer (Driver Cum Mechanic/ Motor Mechanic/ Diesel Mechanic / Tractor Mechanic)	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th with Science or equivalent examination pass. 2- Degree/Diploma in Mechanical/ Automobile Engg. or equivalent from recognized University/ Board ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade. 3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One year course from ATI/ CTI. In case if he not trained from ATI/ CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment. 4- License of LMV.
10	Training Officer (Forger and Heat Treater/ Carpentry/ Molder/ Sheet Metal/ Plastic Processing Operator/ Welder)	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th with Science or equivalent examination pass. 2- Degree/ Diploma in Mechanical/ Production & Manufacturing Engg. or equivalent from recognized University/ Board ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade. 3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One year course from ATI/ CTI. In case if he not trained from ATI/ CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment.
11	Training Officer (Fitter/ Machinist/ Turner/ Plumber)	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th or equivalent examination pass. 2- Degree/ Diploma in Mechanical/ Production & Manufacturing Engg. or equivalent from recognized University/ Board ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade. 3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One year course from ATI/ CTI. In case if he not trained from ATI/ CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment.

12	Training Officer Library & Information Science	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th with Maths, Physics and Chemistry or equivalent examination pass. 2- Degree/Diploma in Library & Information Science or equivalent from recognized University/ Board ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade. 3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One year course from ATI/ CTI. In case if he not trained from ATI/ CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment.
13	Training Officer Hospital House Kipping	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th or equivalent examination pass. 2- Degree/ Diploma in Public Health/ Bio Science/ Physiology/ Nursing or equivalent from recognized University/ Board ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade.
14	Training Officer Mechanic Computer Hardware	18 year	35 year	1- High School or Old 11th with Maths, Physics and Chemistry or equivalent examination pass. 2- Degree/ Diploma in Electronics/ Computer Science Engg. or equivalent from recognized University/ Board ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade. 3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One year course from ATI/ CTI. In case if he not trained from ATI/ CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment.
15	Training Officer Computer Operator & Programming Assistant	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th or equivalent examination pass. 2- Degree/ Diploma in Computer Science or equivalent ***or*** B.C.A./ P.G.D.C.A. from recognized University/ Board ***or*** 'O' level Certificate from Department of Electronics ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade. 3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One year course from ATI/ CTI. In case if he not trained from ATI/ CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment.
16	Training Officer (Information Technology & Electronics System Maintenance)	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th with Maths, Physics and Chemistry or equivalent examination pass. 2- Degree/ Diploma in Information Technology/ Computer Science Engg. or equivalent from recognized University/ Board ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade.

				3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One year course from ATI/ CTI. In case if he not trained from ATI/ CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment.
17	Training Officer (Secretarial Practice)	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th or equivalent examination pass. 2- Diploma in Modern Office Management or equivalent from recognized University/ Board ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade.
18	Training Officer (Stenography)	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th or equivalent examination pass. Candidates, who are Graduate or Post Graduates and have Passed their examination offering Hindi or English Literature, shall be preferred. 2- Should have passed short hand & typing examination from the board of Short Hand & Typing Chhattisgarh or A.C.D.T./ N.C.V.T. 3- Should have experience of the work of Stenography at list five years along with speed of at list 100 words per minute in Stenography and Typing Speed of 40/ 30 words per minute in English and Hindi Typing respectively. 4- Should have a fair knowledge of Hindi and English.

Training Officer (CoE) Advance modules

19	**Training Officer (CoE) for "Sector FABRICATION"**	18 Yrs.	35 Yrs.	1. Degree in Fabrication/ Mechanical/ Production Engg., or 2. Diploma in Fabrication/ Mechanical/ Production Engg.
20	**Training Officer (CoE) for "Sector AUTOMOBILE "**			1. Degree in Automobile Engg., or 2. Diploma in Automobile Engg.
21	**Training Officer (CoE) for "Sector ELECTRICAL "**			1. Degree in Electrical Engg., or 2. Diploma in Electrical Engg. 3. HNTC in related area.
22	**Training Officer (CoE) for "Sector INFORMATION TECHNOLOGY"**			Yet to be decided by DGET
23	**Training Officer (CoE) for "Sector INSTRUMENTATION"**			1. Degree in Electronics/ Instrumentations Engg., or 2. Diploma in Electronics/ Instrumentations Engg., or 3. HNTC in related area.
24	**Training Officer (CoE) for "Sector INDUSTRIAL AUTOMATION"**			1. Degree in Industrial Automation Engg./ Related discipline of module., or 2. Diploma in Industrial Automation Engg./ Related discipline of module., or 3. HNTC in related area.
25	**Training Officer (CoE) for "Sector**			1. Degree in Refrigeration & Air Conditioning/ Mechanical Engg., or

	REFRIGARATION & AIR CONDITIONING"			2. Diploma in Refrigeration & Air Conditioning/ Mechanical Engg.
26	**Training Officer (CoE) for "Sector PROCESSES PLANT MAINTENANCE"**			1.Degree in Chemical/ Electrical/ Mechanical/ Instrumentation/Refrigeration and Air Condition (As Required) Engg., or 2. Diploma in Chemical Engg., or 3. HNTC in related area.
27	**Training Officer (CoE) for "Sector PRODUCTION & MANUFACTURING"**			1. Degree in Mechanical/ Production Engg., or 2. Diploma in Mechanical/ Production Engg.
28	Training Officer (For the Trades other than above)	18 year	35 year	1- High School or Old 11th or equivalent examinations pass. 2-Degree/Diploma in related Field or equivalent ***or*** NTC/ NAC or equivalent in related trade. 3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One year course from ATI/ CTI. In case if he not trained from ATI/ CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment.
29	Training Officer (Engineering Drawing/ Workshop Calculation & Science)	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th with Math's, Physics and Chemistry or equivalent examination pass. 2- Degree/ Diploma in Mechanical Engineering or equivalent from recognized University/ Board ***or*** NTC/ NAC in Draughtsman Mechanical. 3- Possesses certificate under Craft Instructor Training Scheme (One year course from ATI/ CTI. In case if he not trained from ATI/ CTI, it is essential him to pass the training examination within a period of three years from the date of appointment.
	Note:-It will be Compulsory to pass One year Training Course from ATI/CTI/DGE&T to all the T.O's (Trade Drawing, Math's, Allied) in those trades in which One year course is not available, and in those trade where One year course is available but the Trade T.O's concerned have completed 5 years of services they must have to pass only P.O.T. Course of 3 months from ATI/CTI/DGE&T, otherwise they will be not entitled for further promotion & increment.			
30	Training Officer (Language - Hindi/English)	18 year	35 year	Should have passed Graduate and B.Ed. examination offering Hindi/ English Literature. Post Graduation in Hindi/ English subject shall be preferred.
31	Training Officer (Social Study)	18 year	35 year	1-Should have passed a Bachelor degree offering Sociology/ Psychology or along with Social work. 2-Experience Candidate should be preferred. 3-Should have under gone Training in C.S.T.A.R.I. or in any other Government Organization after Employment.
32	Training Officer Language-English (Communication Skill)	18 year	35 year	Should have passed Graduate and B.Ed. examination offering Hindi/ English Literature. Post Graduation in Hindi/ English subject shall be preferred.

33	Maintenance Mechanic (Mechanical/Electrical)	18 year	35 year	1- From recognized board High School or Old 11th or equivalent examination pass. 2-For mechanical Should be AITT from Fitter/Turner/ Machinist for Electrical AITT from Electrician Trade or NAC from respective trades.
Non-Clerical Non-Technical Cadre				
34	Hostel Superintendent	18 year	35 year	From recognized board High School or Old 11th or equivalent examination pass and should have passed Diploma in Physical Training, or Should be Graduate from a recognized university.
35	Driver	18 year	35 year	1-From recognized board High School or Old 11th or equivalent examination pass. 2-Should have a license of Driving light/ heavy Vehicles.
36	Pharmacist	18 year	35 year	1- Should have passed Higher Secondary with Physics, Chemistry and Biology. 2-Diploma in Pharmacy from recognized Institute. 3- Registered in Pharmacy Council. 4- 3 years experience as Compounder at least.
37	Dresser	18 year	35 year	1-Should have passed From recognized board Higher Secondary with Physics, Chemistry and Biology. 2-3 Months course from Medical Centre/Institute.
Ministerial Cadre				
38	Steno typist	18 year	35 year	1- Should have pass 12th Standard examination under 10+2 pattern or should have pass first year examination of graduation course from recognized university. 2- Should have passed Hindi typing examination with 25 wpm from recognized Board/ Institute and knowledge of Stenography is essential for the post of Steno typist with a speed of 60 wpm. 3- Should possess one year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from a recognized Institution. Should possess speed of 5,000 Key Depressions per hour.
39	Assistant Gr.-3	18 year	35 year	1- Should have pass 12th Standard examination under 10+2 pattern or should have pass first year examination of graduation course from recognized university. 2- Should have passed Hindi typing examination with 25 wpm from recognized Board/ Institute. 3- Should possess one year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from a recognized Institution. Should possess speed of 5,000 Key Depressions per hour.
40	Data Entry Operator	18 year	35 year	1- Should have passed from recognized board (10+2)12th Standard, or Should have passed High (10th) from recognized Board & three years Diploma with any one subject. 2- One year Diploma in Data entry operator /Programming from recognized Institute. 8000 key Depression in Hindi/English in Computer.

SCHEDULE -IV

(Vide Rule-13, 14, 15, 16 & 17)

S.No	Name of service of post from which promotion is to be made	Experience required for promotion	Name of service or post to which promotion is to be made	Designations of the members of Departmental Promotion/ Recruitment Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Training Officer (Trade) (Engineering Drawing/ Workshop Calculation)	3 Year	Technical Assistant/ Training Superintendent	**For Promotion/ Recruitment Committee** 1- Additional Director 2- Joint Director 3- Deputy Director
2	Training Officer (COE Sector/ Engineering Drawing/ Workshop Calculation & Science)	3 Year	Technical Assistant/ Training Superintendent	**For Promotion/ Recruitment Committee** 1- Additional Director 2- Joint Director 3- Deputy Director
3	Maintenance Mechanic (Mechanical/Electrical)	5 Year	Training Officer (Related Trade) Will be promoted only if post is vacant irrespective of seniority of the post mention at serial no.3.	-Do-
4	Workshop Attendant	5 Year	Training Officer (Related Trade) Will be promoted only if post is vacant irrespective of seniority of the post mention at serial no.3.	-Do-
5	Driver (High school pass)	7 Year	Training Officer (Motor Mechanic) Against the vacant post.	-Do-
6	Dresser	5 Year	Pharmacist	-Do-
7	Superintendent ITI/ Zona.	3 Year	Superintendent Directorate	-Do-
8	Assistant Grade-1	3 Year	Assistant Account officer Graduation from recognized University and Three years work experience of the post assistant grade-1 and must passed the account training examination.	-Do-
9	Assistant Superintendent / Assistant Grade-1	3 Year	Superintendent/ I.T.I./ Zonal Office	-Do-

10	Assistant Grade-2/ Accountant	3 Year	Assistant Superintendent/ Assistant Grade-2	-Do-
11	Assistant Grade-3	3 Year	Accountant / Assistant Grade-2	-Do-
12	Steno Typist	7 Year	Stenographer Gr-3, Should have a speed of 100 words per minutes and he shall be appointed subject to the condition of passing the Test of Stenography conducted by the authority.	
13	Data Entry Operator	-	As per instruction/ Order to be issued by the Government in future.	-Do-
14	Fourth Class (including Daftari)	5 Year	Assistant Grade-3 only those employees are eligible for promotion who have passed Higher secondary examination and having knowledge of Computer. Promotion to Assistant Grade-3 will be on two years probation and should pass the Hindi typing examination also.	-Do-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NARAYAN SINGH, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.